

प्रेषक,

श्री सत्यसतगौतम,
उप सीएस
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबंधक,
सेन्ट स्लोसियस स्कूल,
सिविल लाइन,
पीलीभीत ।

शिक्षा 17 अनुभाग

लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 1986

विषय:- सेन्ट स्लोसियस स्कूल सिविल लाइन, पीलीभीत को अनापीत्त प्रमाण-पत्र दिस जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

मुझे यह कदने का निदेश हुआ है कि सेन्ट स्लोसियस स्कूल, सिविल लाइन, पीलीभीत को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी स्कूलेमान नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापीत्त प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा कीतम शर्तों के अधीन प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है । यदि आप शर्त अनापीत्त प्रमाण-पत्र के इच्छुक हैं तो निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों को स्वीकार किए जाने के संबंध में अपनी सहमति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें :-

1क। सामान्य प्रतिबंध

- 1-विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिभावंत स्थान प्रतिभावान, पिछड़े तथा निर्बल आय वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे वही शुल्क लिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैतक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित है ।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक / अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे । संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार से अनुदानित समकक्षीय विद्यालयों में अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन वेतनमान

Fr. Shaji Christopher
01.04.2026

Fr. Shaji Christopher
Principal
St. Aloysius College
Pilibhit (U.P.) 262001

MANAGER
ST. ALOYSIUS COLLEGE
PILIBHIT (U.P.) 262001

कुपू0000--2

तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- 5- राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय का अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा।

विशेष प्रतिबन्ध

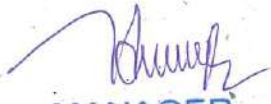
- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, प्रयोग शाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनाई जायेंगी तथा उन्हें असातकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित पत्रों/पंजीकों में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का एक निश्चित समय के भीतर पूरा कर उनका पालन किया जाता रहेगा और किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनायास प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

सत्यमेव जयते
उप-सचिव।


01.04.2026
Fr. Shaji Christopher
Principal
St. Aloysius College
Pilibhit (U.P.) 262001


MANAGER
ST. ALOYSIUS COLLEGE
PILIBHIT (U.P.) 262001